न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 33/2021

आरसीएमएस नं. 2021/33

1– गुरदीप सिंह पुत्र स्व.वरयाम सिंह बउम्र 75 वर्ष जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2– बलवीर सिंह पुत्र स्व.जरनैल सिंह (फौत)
2/1. मलकीत कौर पत्नि बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2/2. बोहड़ सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2/3. बलजिन्द्र पुत्री बलवीर सिंह पुत्री गुरचरण सिंह निवासी चक 4 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2/4. बलजिन्द्र कौर पुत्री बलवीर सिंह पत्नी बलजीत सिंह जाति जट सिख निवासी कोठे चैतसिंह तहसील व जिला बठिण्डा।
3– अमरजीत सिंह पुत्र स्व.वीर सिंह बउदम्र 60 वर्ष जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4– लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व.मखन सिंह पुत्र स्व.वीर सिंह बउम्र 30 वर्ष जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1– लोला सिंह पुत्र स्व.सरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2– कलवंत सिंह पुत्र स्व.सरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3– बलकरण पुत्र स्व.सरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4– जसकरण पुत्र स्व.सरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5– मेजर सिंह पुत्र स्व.सरजीत सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7– जिलाधीश जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––असल रेस्पोडेंट

8– गुरजंट सिंह पुत्र स्व.जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9– जसवीर कौर पत्नि स्व.प्रीतम सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10– अमृतपाल सिंह स्व.प्रीतम सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11– प्रेमदीप कौर पत्नि स्व.लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व.प्रीतम सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12– राजदीप सिंह पुत्र स्व.लखविन्द्र सिंह पुत्र स्व.प्रीतम सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13– गुरमीत कौर पत्नि स्व.भोला सिंह पुत्र स्व.जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14– इकबाल सिंह पुत्र स्व.भोला सिंह पुत्र स्व.जरनैल सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
15– मनजीत कौर पत्नि स्व.मखन सिंह पुत्र स्व.वीर सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
16– नवजीत सिंह पुत्र स्व.मखनसिंह पुत्र स्व.वीर सिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
17– जसवंत सिंह पुत्र स्व.बलदेव सिंह पुत्र स्व.जयसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
18– हरबंस सिंह पुत्र स्व.बलदेव सिंह पुत्र स्व.जयसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
19– परमजीत सिंह पुत्र स्व.जयसिंह जाति जट सिख निवासी सिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.1996
द्वारा अतिरिक्त जिला कलैक्टर (जागीर), हनुमानगढ़
अनवान ''सरजीत सिंह बनाम राज.सरकार जरिये तहसीलदार''
रिमांडेड अपील संख्या 08 वर्ष 1995 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 9 जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959
उपस्थितिः–

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पो सं0 2

श्री विपिन कुमार स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 8 ता 19

श्री रविन्द कुमार भाबिया अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 6 व 7

निर्णय दिनांक 4.8.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता सरजीत सिंह ने बतौर वादी न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा सिलवाला खुर्द के खसरा नम्बर 323 में 22 बीघा 8 बिस्वा खसरा नम्बर 324 में 8 बीघा कुल 30 बीघा 8 बिस्वा चुन्नीलाल,

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जयमलसिंह की बिस्वेदारी भूमि थी। सम्वत् 2015 में उक्त भूमि दलीप सिंह, जीत सिंह, चन्दा सिंह पिसरान माला सिंह ने खरीद कर ली तथा कब्जा प्राप्त किया। चकबन्दी पर यह भूमि चक 7 एस.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 212/314 किला नं0 11, 14 ता 25, पत्थर नम्बर 212/315 किला नं0 1 ता 4, 7 ता 10, 12 ता 14, 17 ता 9, 22 ता 24 इस प्रकार कुल 30 बीघा दलीप सिंह वगेरा के नाम पैमूद हुई। दिनांक 28.05.1962 को कुल भूमि जरिये बैयनामा अन्य व्यक्तियों ने खरीद कर ली जिसमें वादी भी शामिल है। खरीद के समय से ही कुल भूमि पर वादी तथा अन्य खरीददारान बतौर खातेदार काश्त करते आ रहे हैं। सैटलमेंट के समय वादी तथा अन्य खरीददारान के नाम शेष भूमि को बदस्तूर खातेदारी दर्ज कर दी परन्तु पत्थर नम्बर 212/314 किला नं0 11, 19 ता 21 कुल 4 बीघा ''अलावा जोत काबिल काश्त मजकूर'' दर्ज कर दिया, राजस्व विभाग द्वारा तैयार जमाबंदी चारसाला सम्वत 2036 में गलती से उक्त 4 बीघा भूमि वादी व अन्य खरीददारान के खाता में दर्ज न कर आराजीराज दर्ज कर दी जो कतई गलत व गैरकानूनी है। मुताबिक बाहमी तकसीम उक्त 4 बीघा भूमि वादी के हिस्से में है। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को प्रतिवादी प्रश्नास्पद भूमि से बेदखल करने की तथा तावान कायम करने की कार्यवाही कर रहा है। ऐसी सूरत में वादी स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पाने का अधिकारी है। यदि उपरोक्त खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज के आधार पर वादी को बेदखल करने व तावान कायम करने में सफल हो गये तो वादी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा मुकदमेंबाजी बढ़ेगी। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद पत्र में हाल चक 6 एस.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नम्बर 212/314 किला नं0 11, 19 ता 21 कुल 4 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा उक्त वाद पत्र उनके क्षेत्राधिकार का न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय डिप्टी कलैक्टर, जमींदारी एवं बिस्वेदारी श्रीगंगानगर को प्रेषित किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 9 जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीबद्व किया जाकर तलबी जारी की गई। दिनांक 18.03.1985 को पूर्व न्यायालय द्वारा उठायपक्ष को सुनकर आगामी आदेश तक प्रश्नास्पद भूमि की स्थिति यथावत कायम रखने की आज्ञा पारित की। दिनांक 11.09.1985 को इस वाद पत्र में वादी पक्ष के न्यायालय में उपस्थित न होने पर वाद वादी अदम पैरवी में खारिज हुआ। वादी द्वारा दिनांक 18.12.1989 को आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आवेदन कर वाद वादी रेस्टोर करने का निवेदन किया जिस पर पूर्व न्यायालय द्वारा इस आवेदन पत्र पर सुनवाई कर पूर्ण विवेचना करते हुए अपने आदेश दिनांक 25.09.1990 से रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र खारिज किया। इस आदेश के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी महोदय के यहां अपील दायर की। अपील संख्या 440/94 में निर्णय दिनांक 15.02.1995 को पारित हुआ। निर्णय अनुसार डिप्टी कलैक्टर का उपरोक्त आदेश 25.09.01990 निरस्त किया जाकर प्राकृतिक न्याय सिद्वांतों एवं न्याय हित में सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित बताते हुए माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा इस मामले को रिमांड किया व तत्पश्चात राज्य पक्ष की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया व अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी जाकर दिनांक 29.06.1996 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जिससे व्यथित होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट ने यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मिमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सरजीत सिंह के वाद पत्र के साथ संलग्न बैयनामा में कुल 8 व्यक्तियों द्वारा 28 बीघा भूमि खरीदने का तथ्य साबित था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद पत्र में पत्थर नम्बर 212/314 के किला नम्बर 11, 19, 20, 21 कुल 4 बीघा भूमि ''जोत काबिल काश्त मजकूर'' दर्ज हो जाने से उपरोक्त 4 बीघा भूमि का ही विवाद था जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता सरजीत सिंह का आठवां हिस्सा अर्थात आधा बीघा का ही हक व हिस्सा था। सरजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की दफा–7 में यह स्पष्ट अभिवचन है कि उपरोक्त 4 बीघा भूमि वादी व अन्य खरीददारान के खाता में दर्ज न होकर आराजीराज दर्ज हो गई है, लेकिन अधीनस्थ न्याालय ने पत्रावली व दस्तावेज का कोई परिशीलन किये बिना प्रश्नगत 4 बीघा भूमि का अकेले सरजीत सिंह को खातेदार घोषित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामा में 28 बीघा भूमि में सरजीत सिंह व उसके भाईयों हजूर सिंह, गुरबक्श सिंह, मेला सिंह का 14 बीघा व अपीलांट संख्या–1 का 3 बीघा 10 बिस्वा, वीर सिंह–जय सिंह दोनों का कुल 7 बीघा व जरनैल सिंह का 3 बीघा 10 बिस्वा का हक व हिस्सा था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गलत व विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जिससे सरजीत सिंह का हिस्सा 3 बीघा 10 बिस्वा की बजाए 6 बीघा 15 बिस्वा हो गया जबकि उसका मात्र 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का ही हक व हिस्सा था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत 4 बीघा भूमि सैटलमेंट ऑपरेशन के दौरान राजस्व अभिलेख में ''अलावा जोत काबिज मजकूर'' को गलत रूप से मानने की हद तक निर्णय सही है, लेकिन उपरोक्त 4 बीघा भूमि को अकेले सरजीत सिंह को काश्तकार घोषित करना गलत है, की हद तक अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट संख्या–1 व जरनैल सिंह, वीर सिंह, जयसिंह पक्षकार नहीं थे जबकि उनका भी इस भूमि में हक व हिस्सा था। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरनैल सिंह, वीर सिंह अपीलांट संख्या–1, जय सिंह पक्षकार नहीं थे तथा बैयनामा में उपरोक्त व्यक्तियों के नाम कृषि भूमि है तथा प्रश्नगत 4 बीघा भूमि में प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा था। जयसिंह, वीर सिंह, जरनैल सिंह फौत हो चुके हैं जिनके जायज व कानूनी वारिसान मीमो ऑफ अपील के शीर्षक में अंकित हैं। इस प्रकार अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से प्रभावित है तथा धारा 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.96 में रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता सरजीत सिंह अकेले को प्रश्नगत 4 बीघा भूमि का जो खातेदार घोषित किया है, की हद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तक अपास्त फरमाया जावे व अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 8 ता 19 को उनके हिस्सा मुताबिक खातेदार घोषित किया जावे।

4. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलांट को अपीालधीन आदेश के दिवस से ही जानकारी है व उनकी सहमति से ही अपीलाधीन आदेश पारित किया हुआ है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है इसलिए मियाद बाहर व धारा 96 सीपीसी में प्रभावित पक्षकार नहीं होने पर ही अपील खारिज किये जाने योग्य है। बैयनामा दिनांक 28.05.1962 में पुराना चक 7 एसएलडब्ल्यू मु. नं. 27 किला नं. 11 14 ता 25 वर्तमान चक 6 एसएलडब्ल्यू प. नं. 212/314 (69) किला नं. 11, 14 ता 25 व पुराना मु. नं. 36 किला नं. 1 ता 10, 12 ता 14, 18, 19 वर्तमान चक 6 एसएलडब्ल्यू पन. नं. 212/315 (75) किला नं. 1 ता 10, 12 ता 14, 18, 19 के कुल 28 बीघा आराजी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट 8 ता 19 के पूर्वजों जरनैल सिह, वीरसिंह, जयसिह व वरयामसिंह ने 1/2 हिस्सा 14 बीघा व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 के पूर्वज सरजीत सिह व हजूर सिह व गुरबक्श सिह व मला सिंह ने 1/2 14 बीघा आराजी क्रय की जिसमें से वर्तमान खाता संख्या 93/39 चक 6 एसएलडब्लयू में 22 बीघा आराजी में 1/2 हिस्सा अपीलांट व रेस्पो0 सं0 8 ता 19 के परिवार के नाम से व 1/2 हिस्सा यानि 11 बीघा रेस्पो0 सं0 1 ता 5 के परिवार के नाम से दर्ज रिकार्ड है तथा चक 6 एसएलडब्ल्यू के प. नं. 212/315 (75) किला नं. 5 व 6 अपीलाण्ट संख्या 1 गुरदीप सिह के पुत्र गुरसेवक सिंह व पोते मनप्रीत, गुरदासमान, गुरप्रीत के नाम दर्ज है तथा 4 बीघा प. नं. 212/314 (69) 11, 19 ता 21 रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 के नाम दर्ज है इस प्रकार बैयनामा दिनांक 28.05.1962 के क्रेता जरनैल सिंह, वीर सिह, वरयाम सिह के परिवार के सदस्यों के नाम राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 93/39 में 11 बीघा व खाता 33/28 में 2 बीघा यानि 13 बीघा आराजी क्रय की हुई आराजी में से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो इन्हें अच्छी मंदी कि लिहाज से प्राप्त हुई है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 के पूर्वज सरजीत सिह व स्व0 हजूर सिह व स्व0 मेलासिह व गुरबक्श सिंह के परिवार के नाम खाता संख्या 93/39 में 11 बीघा व खाता सं0 75/55 में 4 बीघा यानि 15 बीघा आराजी क्रय की हुई आराजी मे से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो उनके अधिपत्य व धारण में चली आ रही है। अपीलाण्ट स्वयं भी अपनी अपील के पैरा 5 में अपीलाण्ट के परिवार के कब्जा में 14 बीघा आराजी क्रय की हुई आराजी में से कब्जा मानता है परन्तु अपीलांट के परिवार के आधिपत्य व धारण में राजस्व रिकार्ड में 13 बीघा आराजी अच्छी मन्दी आराजी के लिहाज से चली आ रही है तथा इसी अनुसरण में अपीलधीन आदेश पारित हुआ इसलिए अपील अपीलांटान काबिल खारिजी है जो खारिज की जावे ।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 6 व 7 ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 8 ता 19 के अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का कथन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बैयनामा में 8 व्यक्तियों का नाम अंकित है जिसमें अहपीलांट संख्या–1 व अन्य अपीलांट के पिता का नाम अंकित है। उक्त परिस्थितियों में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट पक्षकार नहीं थे। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश का ज्ञान दिनांक 02.02.2021 को होने के कथन किये। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। उपरोक्त भूमि पर कब्जा होने के सम्बंध में अपीलांट ने पानी की पर्ची भी पेश की है। उक्त परिस्थितियों में मूल अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना तथा अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद ग्रहण की जानी न्यायोचित है।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध बैयनामा दिनांक 22.06.62 में गुरबक्श सिंह, मेला सिंह, हजूर सिंह, सरजीत सिंह के नाम 14 बीघा व जय सिंह, वीर सिंह के नाम 7 बीघा व जरनैल सिंह के नाम 3 बीघा 10 बिस्वा व गुंरदीप सिंह के नाम 3 बीघा 10 बिस्वा की भूमि खरीद किया जाना दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सरजीत सिंह ने प्रश्नगत 4 बीघा चक 6 एसएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 212/314 के किला नम्बर 11, 19 ता 21 भूमि जमाबंदी सम्वत् 2026 में गलती से आराजीराज दर्ज हो गई थी जिस हेतु सरजीत सिंह ने वाद पत्र प्रस्तुत किया था। सरजीत सिंह ने अपने वाद पत्र की दफा–7 में यह उल्लेख भी किया है कि उपरोक्त 4 बीघा भूमि वादी व अन्य खरीददारान के खाता में दर्ज न होकर आराजीराज दर्ज हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त खरीदशुदा भूमि आराजीराज दर्ज होने को गलत माना है। इस हद तक राज्य सरकार अथवा अन्य द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई इस कारण आराजीराज भूमि के गलत अंकन को खातेदारी भूमि की हद तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की जाती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त 4 बीघा भूमि का अकेले सरजीत सिंह को जो खातेदार घोषित किया है वह कतई गलत है जबकि सरजीत सिंह ने अपने वाद पत्र में उपरोक्त 4 बीघा भूमि में अन्य खरीददारान का हक होना स्वीकार किया है तथा बैयनामा भी प्रस्तुत किया है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पारित चक 6 एसएलडब्ल्यू के पत्थर नम्बर 212/314 के किला नम्बर 11, 19 ता 21 तादादी 4 बीघा सरजीत सिंह को अकेले को खातेदार घोषित करने की हद तक निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.96 अपास्त की जाकर प्रश्नगत 4 बीघा भूमि में अपीलांट संख्या–1 को 1/8 हिस्सा, अपीलांट संख्या 2/1 से 2/4 को 1/32 हिस्सा बहिस्सा बराबर, रेस्पोडेंट संख्या–8 गुरजंट सिंह को 1/32 हिस्सा, रेस्पोडेंट संख्या 9 ता 12 को 1/32 हिस्सा बहिस्सा बराबर, रेस्पोडेंट संख्या 13 व 14 को 1/32 हिस्सा बहिस्सा बराबर, अपीलांट संख्या 3 को 1/16 हिस्सा, अपीलांट संख्या–4 एवं रेस्पोडेंट संख्या 15 व 16 को 1/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर, रेस्पोडेंट संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

17 व 18 को 1/16 हिस्सा बहिस्सा बराबर, रेस्पोडेंट संख्या–19 कुल 1/16 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 5 को 1/8 हिस्सा बहिस्सा बराबर, हजूर सिंह, गुरबक्श सिंह व मेला सिंह प्रत्येक 1/8–1/8 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जाते हैं व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। शेष निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 4.8.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/8/22

(करतारसिंह पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)